न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान हनुमान बनाम जगदीश

मुकदमा संख्या/वर्ष टी0आई0 25/2016

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/1/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 186, रकबा 37 बीघा 19 बिस्वा, ग्राम कंवर का बास, पटवार हल्का दुर्जनियावास भू.अ.नि. क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड़, जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थीगण व विपक्षी अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। उक्त भूमि प्रार्थीगण संख्या 2 से 6 के पति व पिता स्व. कानाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है। कानाराम का देहान्त हो गया है। जिसके पश्चात् प्रार्थीगण संख्या 2 से 6 उनके उत्तराधिकारी होने के कारण उक्त भूमि पर काबिज काश्त होने से उक्त भूमि का बंटवारा करवाने, राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता स्व. मोती का भी स्वर्गवास हो चुका है व राजस्व रिकार्ड में आज भी स्व. मोती का नाम चला आ रहा है। लेकिन विपक्षीगण संख्या 1 से 5 के नाम नामान्तकरण नही खुलने की वजह से उनको वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है तथा उनके द्वारा विधिवत बंटवारा नही करवाया। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर निर्माण करने पर उतारू है। उन्हे उनकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद हेतु निवेदन किया ~~गया है।~~ जावें। अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री भगवान सहाय शर्मा व अप्रार्थी संख्या 01, 02, 08 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् कथित तथ्यों, पत्रावली मय रिकार्ड के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 14:40:38 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

2/11/25

भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है।

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम कवंर का बास, प0ह0 दुर्जनियावास, भू0अ0नि0 क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 186 रकबा 37 बीघा 19 बिस्वा पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 2/11/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर नगर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 14:40:38 IST
Reason: SelfAttested